29

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैंप भोपाल

R - 590 - II/14

राजस्व रिवीजन /2014

श्रीमती प्रेमबाई पत्नी श्री बोंदर सिंह
निवासी–ग्राम सोयत तहसील नसरूल्लागंज
जिला–सीहोर ------------रिवीजनकर्ता

विरूद्ध

समुन्द्राबाई पत्नी श्री रामअवतार,
निवासी–ग्राम सोयत तहसील नसरूल्लागंज
जिला–सीहोर -------------अनावेदक

राजस्व रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

श्री यशवंत साहू अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 13-2-14 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत। 13-2-14

रिवीजनकर्ता की ओर से सविनय निवेदन हैं :-

विद्वान न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल द्वारा राजस्व प्र.क.133/रिवीजन/10-11 में पारित आदेश दिनांक 04.12.2013 जिसके द्वारा उन्होंने अपर कलेक्टर सीहोर के प्र.क.114/निगरानी/09-10 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2011 एवं न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नसरूल्लागंज सीहोर के प्र.क./अपील/06-07 में पारित आदेश दिनांक 14.11.2007 से व्यथित एवं विक्षुब्ध होकर सुदृढ़ तथ्यों एवं ठोस वैधानिक आधारो पर रिवीजन प्रस्तुत हैं :-

12-2-14

प्रकरण के संक्षिप्त सुसंगत तथ्य

01. यह कि प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक ने वर्ष 1991-92 में पारित नामांतरण आदेश के विरूद्ध 12 वर्षो की विशाल समयावधि पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील मय आवेदन धारा 5 समयावधि विधान के साथ पेश किया जिसका रिवीजनकर्ता द्वारा घोर आपत्ति कर विधि सम्मत जवाब पेश किया तत्पश्चात् भी उन्होंने एकपक्षीय मानसिकता एवं एकांगी मानसिकता से अनावेदक का समयावधि विधान आवेदन स्वीकार किया जिसके विरूद्ध आवेदक ने रिवीजन न्यायालय अपर कलेक्टर के समक्ष पेश की जिसे उन्होंने वास्तविक परिस्थितियों एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये बगैर रिवीजन अस्वीकार की जिसके विरूद्ध रिवीजन अपर आयुक्त के समक्ष पेश की जिसे उन्होंने दस्तावेजी साक्ष्य एवं वास्तविक परिस्थितियों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन, परिशीलन, विवेचन, विश्लेषण किये बगैर ही वैधानिक प्रावधानों को बला-ए-ताक पर रखकर प्रश्नाधीन आलोच्य आदेश द्वारा रिवीजन अस्वीकार की जिससे परिवेदित एवं असंतुष्ट होकर अग्रेलिखित मुख्यतः सारभूत वैधानिक आधारों पर रिवीजन प्रस्तुत है ।

निरन्तर.....2

R 590-II/14 सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
19-7-16	आवेदक अभिभाषक श्री यशवन्त साहू अनुपस्थित / पूर्व पेशी पर उपस्थित थे / तीन बार आवाज लगवाई / कोई उपस्थित नहीं / अत: आवेदक अभिभाषक की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज किया जाता है / (हस्ताक्षर) सदस्य	